

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक

फर्द अहकाम


मुंज ४५ / १७ तारीख २०१७ १२-७-१७

उपान — हीरमाल बनाम तहसीलदार  
मातासूला

बाबाबाबत इलाकर हक व इन्हाज दुम्ली  
इस


वादी की ओर से रामचरो सी गुप्ता एडवोकेट ने बाबा  
बाबत इलाकर हक व इन्हाज दुम्ली इस ग्राम  
मातासूला चारा ४४, १३६ पेश किया जमाबन्दी का  
अवलोकन किया गया। बाबा दर्ज रजिस्ट्र कर पतिवारी  
को सम्मन जारी कर तणव किया जाये पितावली दि  
१४-७-१७ को पेश हो।

3845  
12-7-17

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)


1.5.17

वादी वकील उप/उत्तरिवादी का लगान कादलाभील  
डाग्राह। बन्तजा (कामील दि० १.५.१७) को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम


1.8.17

वादी वकील उप/उत्तरिवादी का लगान जारी जारी किया  
लगान जारी कर दिनांक २५.८.१७ को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

5-10-17

जनरल चेशी से पेश हुई। वादी वकील उप/तहसीलदार  
टोडाभीम की रिपोर्ट/जबब प्राब हु आ। शामिल रहे  
वाले कहल दि० १२-१०-१७ को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
15-3-18	वकुलाय उप०) वादी वकील ने वादी साक्ष्य बन्द कराया प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने दि 4-4-18 को पेश हो।
4-4-18	वकुलाय उप०) गतानुसार प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने दि 17-4-18 को पेश हो।
17-4-18	वकुलाय उप०) प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने राजस्व लोक अदालत कैम्प मातासूला में दि 7-6-18 को पेश हो।
7-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय क्षेत्र के द्वार शिबिर मातासूला में प्रस्तुत हुई वादी उपस्थित प्रतिवादी न. 1 उपस्थित प्रतिवादी न. 2 उपस्थित हुआ किन्तु हस्ताक्षर नहीं किये प्रमाण की जानकारी की गयी पत्रावली में शामिल दस्तावेजों रिपोर्ट तहसील इ. प्र. केवलिकन किया नम्बरा ड्रेस साबिक व हाल को देखा गया। वादी का दावा वास्तव ड्रेस दुकली करने योग्य पाये जाने से ड्रेस दुकली हेतु दावा डिस्मि किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पचा डिस्मि जारी करें। पत्रावली कैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दायर दफतर हो।

हरिलाल

जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभ